सं.ए-45011/2/2019-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

****

नई दिल्ली, दिनांकः 21 अगस्त, 2019

कार्यालय ज्ञापन

मुझे आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित जुलाई, 2019 माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की प्रति परिचालित करने का निदेश हुआ है।

(सुरिन्दर पाल सिंह)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
5. प्रधानमंत्री के निजी सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. मत्रिमंडल सचिव के निजी सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. सभी सदस्य, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
   सचिव (आर्थिक कार्य) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, वित्त राज्य मंत्री के विशेष कार्याधिकारी।
10. मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
11. अपर सचिव (श्री ए. गिरिधर), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
12. डा. सी.एस. महापात्रा, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग।
13. अपर सचिव (एफबी एंड एडीबी), आर्थिक कार्य विभाग।
14. अपर सचिव और वित्त सलाहकार (वित्त)।
15. श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
16. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष।
    संयुक्त सचिव (बजट)/संयुक्त सचिव (सीएंडसी/यूएनएंडओएमआई)/संयुक्त सचिव (आईपीएफ)/संयुक्त सचिव (एफएम)/सलाहकार (आईईआर)/ संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (वित्त)/सीएएए।
17. सुश्री राजश्री रे, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
18. डा. शशांक सक्सेना, सलाहकार (एफएसआरएल), आर्थिक कार्य विभाग।
19. श्री अरूण कुमार, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
20. गार्ड फाइल – 2019

सं. ए.-45011/2/2019-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

विषयः जुलाई, 2019 माह के दौरान आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार।

1. वृहत-आर्थिक सिंहावलोकन

1.1 *उपभोक्ता मूल्य सूचकांक* (नई श्रृंखला-संयुक्त) *पर आधारित हैडलाइन मुद्रास्फीति* जून, 2018 में 4.9% की तुलना में जून, 2019 में 3.2% थी। *थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति* जून, 2018 में 5.7% की तुलना में जून, 2019 में 2.0% रही।

1.2 दिनांक 19 जुलाई, 2019 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का आधार दर 20 जुलाई, 2018 के 8.75/9.45 प्रतिशत की तुलना में 8.95/9.40 प्रतिशत पर रहा। 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल 10 जुलाई, 2018 के 7.78 प्रतिशत की तुलना में 19 जुलाई, 2019 को 6.45 प्रतिशत रहा।

1.3 व्यापार घाटा के बढ़ने के कारण चालू खाता घाटा 2017-18 में (जीडीपी का 1.8 प्रतिशत) 48.7 बिलियन अमरीकी डॉलर से वर्ष 2018-19 में बढ़कर 57.2 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 2.1 प्रतिशत) हो गया। भारत का *व्यापार घाटा* 2017-18 में 160.0 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2018-19 में 180.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। मुख्य रूप से निवल सेवा अर्जनों के 2017-18 में 77.6 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 81.9 बिलियन अमरीकी डालर और निजी अंतरण प्राप्तियों में वर्ष 2018-19 में 70.6 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़त के कारण 2018-19 में *निवल अदृश्य प्राप्तियां* उच्च रहीं। वर्ष 2018-19 में *निवल एफडीआई अंतर्वाह* 2017-18 में 30.3 बिलियन अमरीकी डालर से थोड़े अंतरों से बढ़कर 30.7 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। पोर्टफोलियो निवेश में एक वर्ष पूर्व 22.1 बिलियन अमरीकी डालर के अंतर्वाह की तुलना में 2018-19 में 2.4 बिलियन अमरीकी डालर का निवल बहिर्वाह दर्ज किया गया। वर्ष 2018-19 में विदेशी मुद्रा भंडार में 3.3 बिलियन अमरीकी डालर (बीओपी आधार पर) की कमी आई।

1.4 *भारत का विदेशी मुद्रा भंडार* मार्च अंत, 2019 के 412.9 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर से 17.5 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़त दर्शाते हुए 19 जुलाई, 2019 की स्थिति के अनुसार 430.4 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। जून, 2019 में 69.44 रुपये प्रति अमरीकी डॉलर की तुलना में *रुपए की औसत मासिक विनिमय दर* (संदर्भ दर) जुलाई, 2019 माह में 68.81 रुपए प्रति अमरीकी डॉलर रही।

1.5 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (वर्ष 2011-12 की नई श्रृंखला पर आधारित) द्वारा जारी त्वरित अनुमानों के अनुसार, *औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)* में मई, 2018 में 3.8% की बढ़त की तुलना में मई, 2019 में 3.1% की बढ़त दर्ज की गयी। जून, 2019 की अवधि हेतु औद्योगिक बढ़त जून, 2018 के दौरान हुई 7.8 प्रतिशत की बढ़त की तुलना में 0.2 प्रतिशत थी। अप्रैल-जून, 2019-20 के दौरान मुख्य उद्योगों की बढ़त अप्रैल-जून, 2018-19 के दौरान 5.5 प्रतिशत की तुलना में 3.5 प्रतिशत रही।

1.6 भारत का *व्यापारिक माल निर्यात* जून, 2018 के दौरान 27.7 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 9.7% की गिरावट दर्शाते हुए जून, 2019 के दौरान 25.0 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। भारत का *आयात* जून, 2018 में 44.3 बिलियन अमरीकी डॉलर के आयात मूल्य के स्तर की तुलना में 9.1 प्रतिशत घटकर जून, 2019 के दौरान 40.3 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। भारत का तेल आयात जून, 2019 के दौरान 11.0 बिलियन अमरीकी डालर रहा जो कि जून, 2018 में 12.7 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 13.3 प्रतिशत कम था।

1.7 व्यापार घाटा जून, 2018 के दौरान 16.6 बिलियन अमरीकी डालर के घाटे की तुलना में जून, 2019 में 15.3 बिलियन अमरीकी डालर अनुमानित था।

1.8 मई, 2019 के दौरान सेवाओं का निर्यात और आयात क्रमशः 18.7 बिलियन अमरीकी डॉलर और 12.5 बिलियन अमरीकी डालर रहा। मई, 2019 के लिए सेवाओं में व्यापार शेष 6.2 बिलियन अमरीकी डालर अनुमानित था।

2. अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम

2.1 **(क)** बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) रूपरेखा में आगे और छूट देने के उद्देश्य से आरबीआई ने भारत सरकार के परामर्श से 30 जुलाई, 2019 को पात्र लेनदारों को भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/विदेशी सहायक कंपनियों को छोड़कर प्रतिष्ठित ऋणदाताओं से निम्न उद्देश्यों हेतु ईसीबी की उगाही के लिए अनुमति प्रदान की है:-

i. ऐसे ईसीबी जिनकी औसत परिपक्वता अवधि कार्यशील पूंजी उद्देश्यों और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों हेतु न्यूनतम 10 वर्षों की हो। उपरोक्त उद्देश्यों हेतु आगे और उधार देने के लिए एनबीएफसी को उक्त परिपक्वता हेतु ऋण लेने की भी अनुमति होगी।

ii. पात्र लेनदारों द्वारा पूंजी व्यय हेतु घरेलू रूप से लिए गए ऋण की अदायगी और साथ ही इसी उद्देश्य के लिए और उधार लेने हेतु एनबीएफसी द्वारा भी न्यूनतम 7 वर्षों की औसत परिपक्वता अवधि वाली ईसीबी ली जा सकती है। पूंजी व्यय के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों और इस हेतु एनबीएफसी द्वारा उधार लेने के लिए घरेलू रूप से लिए गए ऋणों की अदायगी हेतु ईसीबी की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि 10 वर्षों की होनी चाहिए।

iii. पात्र कॉरपोरेट लेनदारों को ऋणदाताओं के साथ किसी एक मुश्त निपटान के तहत किसी विनिर्माण और अवसंरचना क्षेत्र में यदि उसे एसएमए-2 या एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाए तो पूंजी व्यय हेतु घरेलू तौर पर लिए गए ऋणों की अदायगी हेतु ईसीबी लेनी होती है। ऋणदाता बैंकों को भी ऐसे ऋण विदेशी शाखाओं/भारतीय बैंकों की विदेशी सहायक कंपनियों को छोड़कर पात्र ईसीबी ऋणदाताओं को देने की अनुमति भी है बशर्ते कि परिणामी ईसीबी, ईसीबी रूपरेखा के सभी लागत, न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि और अन्य संबंधित मानदंडों का अनुपालन करता हो।

(ख) कंबोडियन पक्ष की ओर से उठाए गए मामलों का समाधान करने हेतु दिनांक 3 जुलाई, 2019 कंबोडियन शिष्टमंडल के साथ नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई।

(ग) द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर वार्ता करने हेतु दिनांक 16 जुलाई, 2019 को रूसी पक्ष के साथ एक टेली कॉनफ्रेंस का आयोजन किया गया।

(घ) आर्थिक कार्य विभाग ने दिनांक 26 से 31 जुलाई, 2019 के दौरान चीन में आरसीईपी बैठक के 27 वें दौर में वर्किंग ग्रुप आन इनवेस्टमेंट (डब्ल्यूजीआई) में भाग लिया।

(ङ) एनआईआईएफ लिमिटेड की बोर्ड बैठक दिनांक 18.07.2019 को हुई।

(च) एनआईआईएफ ट्रस्टी लिमिटेड की बोर्ड बैठक दिनांक 24.07.2019 को हुई।

(छ) सरकार को आभासी मुद्राओं पर अंतर-मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट और मसौदा बिल प्राप्त हुआ। 'क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा अधिनियम, 2019 का विनियमन' के मसौदा बिल के साथ ही समूह की रिपोर्ट की एक प्रति भी आर्थिक कार्य विभाग की वेबसाइट पर डाली गई है।

2.2 **माह के दौरान निम्न ऋण श्रृंखलाएं दी गई:**

(i) शिलेन्गे में 15 मे.वा. के फोटोवोल्टीय विद्युत संयंत्र और विद्युत नेटवर्क सौर परियोजना हेतु डीआर कांगो सरकार को 56.824 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला दी गई।

(ii) जेमेना में 15मे.वा. फोटोवोल्टीय विद्युत संयंत्र और विद्युतीय नेटवर्क सौर परियोजना हेतु डीआर कांगो सरकार को 56.824 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला दी गई।

(iii) मनोनो में 10मे.वा. फोटोवोल्टीय विद्युत संयंत्र और विद्युतीय नेटवर्क सौर परियोजना हेतु डीआर कांगो सरकार को 26.68 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला दी गई।

(iv) रक्षा उपस्करों की खरीद हेतु उज्बेकिस्तान सरकार को 40.00 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला दी गई।

2.3 **जुलाई 2019 माह के दौरान निम्न बैठकें आयोजित की गईं:-**

(i) अपर सचिव (एफबी और एडीबी) ने दिनांक 16 जुलाई, 2019 को आर्थिक कार्य विभाग की जांच समिति की 97वीं बैठक की अध्यक्षता की।

(ii) अपर सचिव (एफबी और एडीबी) ने दिनांक 01 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में आयातों पर आईजीएसटी के रिफण्ड मामले के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।

3. **न्यूनतम सरकार, अधिकतम अभिशासन**

विशेषकर, सूचना के प्रस्तुतीकरण में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

4. **एसीसी के निदेशों/आदेशों का पालन न किया जाना**

शून्य।

5. **माह के दौरान स्वीकृत किए गए एफडीआई प्रस्ताव और विभाग में अनुमोदन हेतु लंबित एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति**

स्वीकृत किए गए: 04

विभाग में अनुमोदन हेतु लंबित: 07

*****